2011

प्र0—1. दंगा क्या है? दंगा और बल्वा में अन्तर कीजिए—

धारा 159.दंगा- जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोक-स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। तब यह कहा जाता है कि वे 'दंगा करते हैं'।

विधिक भावबोध के अन्तर्गत इसका अर्थ जनता को भयभीत करने के लोक अपराध से है। इस अपराध का तत्व है--जनता को आतंकित करना। **ब्लैकस्टन के अनुसार** किसी लोक स्थान में हिज मैजेस्टी की प्रजा को आतंकित करने के उद्देश्य से दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई इंगलिश विधि के अन्तर्गत दंगा है।

अवयव-इस अपराध के निम्नलिखित अवयव हैं—

(1) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई;
(2) लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो;
(3) उनकी लड़ाई से लोकशांति को व्यवधान पहुँचे।

(1) दो या दो से अधिक व्यक्ति-दंगा के अपराध के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उनकी संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।

(2) सार्वजनिक स्थान पर लड़ना-दंगा का अपराध हेतु आवश्यक है कि लड़ाई किसी सार्वजनिक या लोकस्थान में हो। सार्वजनिक स्थान (Public place) वह स्थान है जहाँ जनता जाती है, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि उसे वहाँ जाने का अधिकार है या नहीं। यदि जनता एक स्थान पर बिना किसी आज्ञा या बाधा के जाती है तो वह सार्वजनिक स्थान है यद्यपि सही अर्थों में वह अतिचार (trespass) कर रही हो क्या कोई स्थान सार्वजनिक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

है या नहीं निश्चयतः जनता के उस स्थान पर जाने के अधिकार पर निर्भर नहीं करता। यद्यपि एक स्थान जहाँ जनता आ जा सकती है सार्वजनिक स्थान माना जाना चाहिए। वह स्थान जहाँ जनता जाने की अभ्यस्त है, इस अपराध के प्रयोजन हेतु लोक- स्थान या सार्वजानिक स्थान माना।

उदाहरण के लिये, रेलवे प्लेटफार्म, थिएटर हाल,एक लोक वाहन (omnibus) ,सार्वजनिक मूत्रालय, रेलवे स्टेशन का मालगोदाम, बाजार, लोक नौका तथा मुसाफिर गाड़ी आदि सभी सार्वजनिक स्थान हैं। अनेक प्रदर्शन जन सामान्य की वैयक्तिक सम्पत्ति पर दिखाये जाते हैं फिर भी उन स्थानों पर लोग अक्सर आते-जाते रहते हैं। वे सार्वजनिक स्थान हैं क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं। एक लोक-उद्यान हर वक्त लोक स्थान नहीं है। वह तभी लोक-स्थान है जब जनता के लिये खुला रहता है। इसी प्रकार न्यायालय, अस्पताल (Hospital), चर्च, मस्जिद तथा मन्दिर सभी उस वक्त सार्वजनिक स्थान हैं जबकि लोग उसमें जाने के लिये प्राधिकृत हैं। अत: वैयक्तिक या सार्वजनिक स्थान की प्रकृति समय-समय पर बदलती रहती है। अत: यह तथ्य न्यायालय के ध्यान में होना चाहिये कि क्या तत्समय प्रश्नगत स्थान ऐसा था जहाँ जनता नि:सन्देह थी।

इन परीक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेलवे प्लेटफार्म उस समय जबकि मालगाड़ी के अतिरिक्त कोई गाड़ी नहीं आने वाली हैए सार्वजनिक स्थान नहीं है ।

एक कस्बे की सड़क पर आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा एक दूसरे आघातों का आदान-प्रदान नहीं हुआ था। यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव में दंगा नहीं कारित हो सकता।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

बाबूराम बनाम भारत संघ आई0एल0आर के वाद में दो व्यक्तियों ने एक तीसरे व्यक्ति पर जो मात्र अपनी रक्षा कर रहा था, आक्रमण कर उसे दबोच लिया। यह निर्णय दिया गया कि वे लोग इस अपराध के दोषी हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थान में लड़ाई हुई थी और यह तथ्य महत्वहीन है कि तीसरा व्यक्ति केवल अपनी सुरक्षा हेतु वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन अपना वार्षिकोत्सव मनाने का निश्चय करती है और इस प्रयोजन हेतु एक प्राइवेट हॉल किराये पर लेती है। हॉल में प्रवेश केवल टिकट के माध्यम से होता है। टिकट सदस्यों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों को जिन्हें आयोजक इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त समझते थे, मुफ्त में वितरित किया गया। कुछ टिकट कुलपति द्वारा वितरित किये जाने के लिये उन्हें भी दिये गये थे। इसके अतिरिक्त टिकट किसी अन्य माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता था। लगभग 20 व्यक्तियों ने जो एक नृत्य पार्टी के सदस्य थे, अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अनेक युवकों ने, जिनमें अभियुक्त भी एक था, नृत्य के समय हाल में उपद्रव मचाया। हाल में मार-पीट हुई जिससे कुछ क्षति भी हुई। उन पर अन्य लोगों के साथ मारपीट करनेत था दंगा करने का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण में दंगा करने का आरोप स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट हॉल को पब्लिक स्थल में परिवर्तित कर दिया गया था और हॉल में मारपीट करके उन लोगों ने लोग शांति को भंग किया था।

दंगा और बलवा में अंतर- दंगा और बलवा में निम्नलिखित अंतर है-

(1) दंगाई सार्वजनिक स्थान में किया जा सकता है जबकि बलवा किसी भी स्थान में हो सकता है अर्थात सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थान पर।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(2) दंगा दो या अधिक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जबकि बलवा के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

(3) बलवाकारी भी व्यक्ति होती है जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं, किसी दंगा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है।

160. दंगा करने के लिए दंड जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र0—2 आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व को स्पष्ट कीजिए "आपराधिक षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण" में अंतर कीजिए!

जबकि दो या अधिक व्यक्ति-

(1) कोई अवैध कार्य, अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने का कार्य वाणी को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है,

इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अवैध कार्य अवैध संसाधनों द्वारा अवैध कार्य को करने के लिए सहमति होना आवश्यक है। जबकि ऐसी परिकल्पना (design) केवल आशिक रूप में रहती है, दंडनीय नहीं होती किंतु जैसे ही दो व्यक्ति उस परिकल्पना को कार्यान्वित करने को सहमत हो जाते हैं तो योजना स्वयं अपने आप एक कार्य का रूप धारण कर लेती है, और प्रत्येक पक्ष कार का कार्य प्रतिज्ञा, के बदले प्रतिज्ञा कृत्य के बदले करते (actus contra actus) यदि वेद होता तो परिवर्तन के योग्य होता है तथा यदि आपराधिक साधनों द्वारा किया जाता है तो दंडनीय होता है।

आपराधिक षड्यंत्र के तत्व-आपराधिक षड्यंत्र के निम्नलिखित तत्व हैं-

(1) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता दिन पर षड्यंत्र करने का आरोप हो,
(2) समझौता;
(क) कोई अवैध कार्य; या

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ख) कोई कार्य जो यह भी अवैध नहीं है, अगर संसाधनों द्वारा, करनी है करवाने के लिए किया जाए।

षड्यंत्र के अपराध के आवश्यक तत्व विधि का उल्लंघन करने हेतु समझौता है। यदि अवैध कार्य करने को सहमत होते हैं आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे भले ही किए जाने के लिए विनिश्चित अवेध कार्य कारित न हुआ हो। जब तक की परिकल्पना अप्रकट रहती है या केवल गठित करती है वह दंडनीय नहीं है। किंतु जब दो या दो से अधिक व्यक्ति उनकी परिकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो षड्यंत्र plot स्वयं एक कार्य होता है तथा पक्षकारों में से प्रत्येक का कार्य, प्रतिज्ञा के बदले प्रतिज्ञा, कृत्य के बदले कृत्य दंडनीय बन जाता है यदि वह आपराधिक उद्देश्य अथवा आपराधिक साधनों के प्रयोग के लिए है। षड्यंत्र के अपराध का सार ना तो उस कार्य को करने अथवा प्रयोजन जिसके लिए षड्यंत्र गठित हुआ है को कार्यान्वित करने में निहित है. न ही कृत्यों में से किसी एक को करने के प्रयास में और न हो उन्हें करने हेतु दूसरों को उकसाने अपितु पक्षकारों के बीच समझौता करने अथवा योजना बनाने में।

प , क तथा र आपस में ब को म के घर से जेवरात चोरी करने को राजी करने के लिये निश्चय करते हैं। वे तदनुसार ऐसा करते भी हैं । व इस कार्य के लिये आसानी से तैयार हो जाता है और म के घर से जबरन चोरी करने के उद्देश्य से चल पड़ता है। इस मामले में प, क और र चोरी के दुष्प्रेरण अपराध हेतु दायित्वाधीन होंगे। चूंकि व जेवरात चुराने के लिये प,क तथा र के अनुन्य पर तैयार हो गया अतएव चोरी के षड्यंत्र के अपराध हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-क के अधीन दायित्वाधीन होगा।

केवल एक व्यक्ति को दण्ड (Conviction of one only). इस धारा का दूसरा तत्व यह है कि सहमति या समझौते में दो या दो से अधिक व्यक्ति पक्षकार हों और उनमें से केवल एक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

व्यक्ति को आपराधिक षड्यंत्र के लिये दोषी नहीं साबित किया जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आपसे षड्यंत्र नहीं रच सकता। जब धारा 120-ख के अन्तर्गत केवल दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाता है तथा उनमें से एक को उन्मुक्त कर दिया जाता है तो दूसरे को अकेले दण्डित नहीं किया जा सकता ।

मेजर ई०जी०बरसे ए०आई०आर 1961 सु०को० के बाद में यह कहा गया कि यदि अभियुक्तों पर यह आरोप है कि उन्होंने तीन अलग-अलग अवैध कार्य करने का निश्चय किया था तो मात्र यह तथ्य कि सभी को प्रत्येक अपराध के सिलसिले में अलग-अलग दण्डित नहीं किया जा सकता, इस प्रश्न के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या षड्यंत्र का अपराध कारित हुआ है। अवैध कार्यों को करने के.
षड्यंत्र के सिलसिले में उन सभी को दोषी ठहराया जा सकता है यद्यपि वैयक्तिक अपराधों के लिये उनमें से सभी उत्तरदायी नहीं हो सकते। यह भी आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र का प्रत्येक सदस्य षड्यंत्र के सभी तथ्यों को जानता हो।

अवैध कार्य (Illegal act).-आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिये समझौता निश्चयतः विधि विरुद्ध अथवा विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य करने के लिये होना चाहिये। कोई समझौता या सहमति जो अनैतिक है या लोकनीति के विरुद्ध हैए या व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाता है या अन्यथा इस प्रकृति का है कि न्यायालय इसे प्रवर्तित नहीं करेगाए तो वह आवश्यक रूप से अवैध नहीं होगा किन्तु चूँकि एक कार्य आपराधिक हुए बिना भी अवैध हो सकता है।

अवैध साधनों द्वारा (by illigal means-) किसी कार्य को, भले ही वह वैध हो, अवैध साधनों द्वारा करने की सहमति प्रदान करती है। कार्य का अंत साधनों को न्याय उचित नहीं ठहराता, उदाहरण के लिए प्रतिद्वंदी व्यापारी को मात देना अवैध कार्य नहीं है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

परंतु सस्ती वस्तु के विक्रेता को नष्ट करने के लिए एकीकृत होकर देने के लिए पुस्तक विक्रेता को हानि पहुंचाना होगा अवैध होगा।

व्यक्त कार्य (over act)- जहां किसी ऐसे कार्य को करने के लिए समझौता हुआ जो अपराध नहीं होगा, सहमति या समझौते के अनुसरण में, आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए किसी व्यक्त कार्य का किया जाना जरूरी है। व्यक्त कार्य उस कार्य से भिन्न होना चाहिए जो मात्र सहमति के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक षड्यंत्रकारी षड्यंत्र के प्रत्येक अवस्था में विद्यमान रहे अथवा यह कि उसने कोई व्यक्त कार्य किया हो।

धारा 120- ख तथा धारा 107 में अन्तर- षड्यंत्र धारा 120- ख के अन्तर्गत सारभूत (Substantive) अपराध है। दुष्प्रेरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। धारा 120- ख आपराधिक घड्यंत्र की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करती है जिसके अन्तर्गत वे कार्य सम्मिलित हैं जो धारा 107 के अन्तर्गत षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण के समतुल्य है । जहाँ आपराधिक षड्यंत्र धारा 107 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण के समतुल्य है, वहाँ धारा 120 क अथवा 120- ख के उपबंधों की सहायता लेना आवश्यक है क्योंकि संहिता में ऐसे षड्यंत्रों को दण्डित करने के लिये विशिष्ट उपबन्ध बनाये गये हैं 42 धारा 107 के अन्तर्गत किसी षड्यंत्र के लिये मात्र समुच्चय अथवा सहमति पर्याप्त नहीं है। कोई कार्य अथवा अवैध लोप षड्यंत्र के अनुसरण में होना चाहिये तथा षड्यंत्रित वस्तु को सम्पादित करने के उद्देश्य से होना चाहिये। धारा 120 क के अन्तर्गत सहमति पर्याप्त है यदि यह अपराध करने के उद्देश्य से हैं। जहाँ तक षड्यंत्र के माध्यम से दुणेरण का सम्बन्ध है दुष्प्रेरक धारा 108 से 117 तक वर्णित विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

120-ख. आपराधिक षड्यंत्र का दण्ड-(1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आपराधिक षड़यंत्र में शरीक होगा,यदि ऐसे षड्यंत्र के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

आपराधिक षड्यंत्र के लिये उस समय दण्ड अधिक कठोर होगा जब कि सहमति घातक अपराध करने के लिये हैं। यदि सहमति एक ऐसा अपराध करने के लिये जो यद्यपि अवैध है परन्तु मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक कठिन कारावास से दण्डनीय अपराध नहीं है तो दण्ड कठोर नहीं होगा। प्रथम प्रकरण में षड्यंत्र के लिये वहीं दण्ड है जैसे षड्यंत्रकारी ने ही अपराध का दुष्प्रेरण किया था।

यदि **प**, **क** तथा **र** आपस में **ब** को इस बात के लिए राजी करने का निश्चय करते हैं कि वह मां के घर से आभूषणों की चोरी करें और वह उससे ऐसा निवेदन करते भी हैं। वह आसानी से तैयार हो जाता है। और मां के घर की चोरी करने के इरादे से चल देता है। इस मामले में पक्का तथा धारा 120-ख के अंतर्गत चोरी का अपराध कार्य करने का षड्यंत्र करने हेतु दायित्व आधीन होंगे। वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसका कार्य केवल चोरी करने की मात्र तैयारी है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

2013

प्र0—(3) निम्नलिखित में अंतर कीजिये-

(i) बलवा और दंगा

(ii) मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गड़ना !

दंगा और बलवा में अंतर- दंगा और बलवा में निम्नलिखित अंतर है-

(1) दंगाई सार्वजनिक स्थान में किया जा सकता है जबकि बलवा किसी भी स्थान में हो सकता है अर्थात सार्वजनिक और निजी दोनों ही स्थान पर।

(2) दंगा दो या अधिक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जबकि बलवा के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

(3) बलवाकारी भी व्यक्ति होती है जो सर्वप्रथम विधि विरुद्ध जमाव गठित करते हैं, किसी दंगा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है।

जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबंध होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है,

उदाहरण (क) क एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में, जो यह के विरुद्ध ख के एक हज़ार रूपए के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने य को ख के दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(ख) क सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह य का हस्तलेख है जबकि वह उसके य का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता है यहां क वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है, और इसीलिए मिथ्या साक्ष्य देता है।

इस अपराध के निम्नलिखित अवयव है-

(1) कोई व्यक्ति;

(क) सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा अथवा विधि के अभिव्यक्त प्रावधान द्वारा , या

(ख) किसी विषय पर घोषणा करने के लिए, विधिक रुप से सम्बद्ध हो,

(2) उस व्यक्ति ने मिथ्या कथन किया हो,

(3) अपने कथन को,

(क) वह जानता हो या विश्वास करता हूं कि वह मिथ्या है, या

(ख) कथन के सत्य होने का उसे विश्वास न हो।

शपथ इत्यादि द्वारा विधिपूर्ण ढंग से बाध्य हो- मिथ्या साक्ष्य के संदर्भ में दंडित होने के लिए यह आवश्यक है कि मिथ्या साक्ष्य कैसी कार्रवाई में दिया गया हो जिसमें अभियुक्ति विधिक रुप से सत्य कथन करने के लिए बाध्य हो।

मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुष्प्रेरण-यदि कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दुषप्रेरित करता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी नहीं होगा किंतु वह उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

192. मिथ्या साक्ष्य गढना- जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक या अभिलेख (या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मित्या कथन अंतरविष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज (या इलेक्ट्रिक अभिलेख) रचता है कि ऐसी परिस्थिति मित्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, ऐसी किसी कार्रवाई में, जो लोक सेवक के समक्ष उसके नाते यह मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर कायम करनी है ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संदर्भ संबंध में गलत राय बनाएं, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है।

उदाहरण

(क) क एक बक्स में, जो य का है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्स में पाए जाएं, और इस परिस्थिति में य चोरी के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाए। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।

(ख) क अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में सम्पोषक साक्ष्य के रूप में काम में ली जाए। क ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।

तत्व- इस अपराध के निम्नलिखित तत्व हैं-

(1) किसी परिस्थिति को उत्पन्न करना, या किसी पुस्तक अथवा अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करना या कथन से निहित कोई दस्तावेज रचना।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(2) उपरोक्त वर्णित कार्यों में से कोई एक कार्य इस आशय से करना कि ये किसी लोक-सेवक या मध्यस्थ के समक्ष किसी न्यायिक या विधि द्वारा सम्पन्न की जा रही कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) इन कार्यों को इस आशय से करना कि इनके कारणए कोई ऐसा व्यक्तिए जिसे उपर्युक्त कार्यवाहियों में साक्ष्य के आधार पर अपने मत का निर्माण करना हैए इन कार्यवाहियों के किसी महत्वपूर्ण स्थान को छूते हुये गलत मत ग्रहण करेगा।

193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड-जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास सेए जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा,और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

उदाहराण-यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या य को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिये, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में क शपथ पर कथन करता है, जिसका वह मिथ्या होना जानता है। यह जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम बद्री यादव 2006 कि०लो०ज० 2120 एस० सी के बाद में दिनांक 18-12-1990 को दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का अभियोजन पक्ष की और से परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किया गया और उन्मुक्त कर दिया गया, उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अभियुक्त की ओर से दिनांक 17-7-1995 को पुन: बुलाया गया। ऐसा न्याय को निष्फल करने के उद्देश्य से जिसकी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

विधि अनुमति नहीं देती है, किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों ही अभियोजन साक्षी मृतक के रिश्तेदार हैं। अतएव अभियुक्त के विरुद्ध असत्य साक्ष्य देने का और असली अपराधी को बिना दण्डित हुये छूट जाने देने का कोई कारण नहीं है। दिनांक 21-9-1989 को उन साक्षियों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिलिखित किये गये थे। दिनांक 18-12-1990 को उनके बयान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभिलिखित किये गये। दोनों ही कथनों में उन्होंने यह कहा था कि वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे और घटनाका देखा था। दोनों ही साक्षियों ने यह कहा था कि उन्होंने अभियुक्तों को मृतक पर चाकू और तलवार से हमला करते हुये देखा था। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद दोनों ही अभियोजन साक्षियों ने गलत शपथ पत्र दाखिल कर यह कहा कि उन्हें पुलिस द्वारा डराया धमकाया और सिखाया पढ़ाया गया था। दिनांक 17-7. 1995 को उन दोनों का बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर परीक्षण किया गया जिसमें वे अपने अभियोजन साक्षी के तौर पर दिये गये पुराने बयान से एकदम बदल गये।

यह अभिधारित किया गया कि इन साक्षियों द्वारा दिये गये उनके बाद के बयान कल्पित (concocted) और अनुबोध (afterthought) थे। उन्हें या तो अभियुक्त द्वारा लालच देकर मिला लिया गया था अथवा भय वश या संत्रास के कारण उन्होंने अपना पूर्व कथन बदला है। अतएव वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने के दोषी हैं।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

194. मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना- कोई भारत में विधि के द्वारा मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध कराने के आशय से या दोषसिद्ध कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

यदि निर्दोष व्यक्ति एत्द्वारा दोषसिद्ध किया जाये और उसे फांसी दी जाये- और यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाय, और उसे फांसी दे दी जाये,तो उसे व्यक्ति को, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा, या तो म्रत्यु दंड या एतस्मिनपूर्व वर्णित दंड दिया जायेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.